

पत्रांक : 124 / विनियमित क्षेत्र, बदायूँ
विषय : प्रारम्भिक स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

दिनांक : 22/9/14

मालाश्रमिण्डुयं निर्देशन २ भाग निर्देशन
मंदिर राक्षस ३/० जगदीश सिंह पन्ना

कालौनी / मार्ग

मदाई

...मौहल्ला

नगलुशका

नगर

वडा ५

..मै प्लोट सं०

मैं भूमि के विकास के लिए आपको आवेदन पत्र 148 दिनांक 357/361 का प्रमाणित करने के सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित करना है कि नियत प्राधिकारी द्वारा 10/08/2014 निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रारम्भिक स्वीकृति दी गई है :-

- 1- सड़क का निर्माण करना करना होगा।
- 2- पानी निष्कासक टैंक मालिकों का निर्माण करना होगा।
- 3- कृषासंरक्षण, फसल तथा वृक्षों का संरक्षण करना होगा।
- 4- समूह-2 पर विचार करने के समय में भी कोई नया विचार/अवधान लागू होगा है तो उसे भी लागू करना होगा।
- 5- Town Planner द्वारा निर्धारित H.O. के आचार पर रोड, नाली, पार्क का निर्माण करना होगा।
- 6- का निर्माण करना होगा।

उपरोक्त विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार आपके द्वारा एक वर्ष के अन्दर विकास कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर दी गई प्रारम्भिक स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा अन्तिम स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

अवर अभियन्ता
विनियमित क्षेत्र, बदायूँ

नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, बदायूँ /
नगर मजिस्ट्रेट, बदायूँ

